उत्तर प्रदेश शासन

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-1

संख्या-15/2015/692/60-1-15-1/13(102)01

लखनऊ: दिनांक 20 मई, 2015

<u>अधिसूचना</u>

किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं सरंक्षण), अधिनियम 2000 यथा संशोधित 2006 की धारा 4 में किशोर न्याय बोर्डो तथा धारा 29 में बाल कल्याण समितियों गठित करने का प्राविधान है। उक्त बोर्डो एवं समितियों में कतिपय सामाजिक कार्यकताओं को भी नामित करने की व्यवस्था है। भारत सरकार द्वारा किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं सरंक्षण), अधिनियम के अधीन प्रकाशित नियमावली 2007 के नियम-92 में यह व्यवस्था की गयी है कि किशोर न्याय बोर्डो एवं बाल कल्याण समितियों का गठन तथा इसके सदस्यों का चयन राज्य सरकार द्वारा इस नियमावली के नियम-91 के अन्तर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर किया जायेगा।

2- उक्त परिप्रेक्ष्य में श्री राज्यपाल महोदय चयन समिति के गठन पूर्व निर्गत आदेशों को अतिक्रमित करते हुए किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं सरंक्षण), अधिनियम 2000 यथा संशोधित 2006 के अधीन प्रकाशित नियमावली, 2007 के नियम 91 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए निम्नानुसार चयन समिति गठित करते है :-

1-	श्री योगेश चन्द्र गुप्ता, सेवानिवृत्त, मा0 न्यायमूर्ति, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद।	-	अध्यक्ष
2-	निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।	-	सदस्य सचिव
3-	श्री वृन्दावन बिहारी लाल श्रीवास्तव, सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता, 74, पंचवटी अपार्टमेंट, 8/60 आर्यनगर, कानपुर नगर।	-	सदस्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- डॉ ज्योति सिंह पत्नी श्री कृष्ण चन्द्र सिंह - सदस्य
कुशाग्र इंस्टीटयूट,
तिर्वा,
जनपद-कन्नौज।

5- डा0 ओंकार नाथ तिवारी, - सदस्य
एसोसिएट प्रोफेसर,
सेन्ट एन्डयूस कालेज,
गोरखपुर।

6- श्री महेन्द्र कुमार, - सदस्य
न्यू मनोरवा शिक्षण संस्थान,
सम्भल।

7- श्री रवीन्द्र चौहान, - सदस्य
सदस्य
उ0प्र0 राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग।

3- समिति का कार्यकाल 05 वर्ष का होगा।

4- समिति किशोर न्याय अधिनियम के प्राविधानों तथा इसी संबंध में भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित नियमावली के नियम 92 में विहित प्रक्रिया/प्राविधानों के अनुसार कार्य सम्पादित करेंगी।

5- समिति का मुख्यालय लखनऊ मे होगा और निदेशक, महिला कल्याण उ0प्र0 द्वारा यथा आवश्यक सुविधाये उपलब्ध करायी जायेगी।

(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव।

3

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-15/2015/692/60-1-15, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

2- समिति के मा0 अध्यक्ष एवं सदस्यगण।

3- निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद को इस आशय के साथ कि वे इसे आगामी राजपत्र में प्रकाशित कराते हुए इस अधिसूचना की 100 प्रतियॉ मुद्रित कराकर शासन को तथा 200 प्रतियॉ महिला कल्याण, निदेशालय, आंठवा तल, जवाहर भवन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

4- समस्त जिला अधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

5- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।

6- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव।

7- प्रमुख सचिव, न्याय, उ0प्र0।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नन्दलाल प्रसाद)

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।